

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

34/2020

श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा पुत्र श्री गंगासहाय शर्मा निवासी ग्राम पोस्ट चैनपुरा तहसील
निवाई जिला टोंक राज0

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 9-11-2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई जिला टोंक को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

ग्राम महाराजपुरा खसरा नम्बर 206 की रेल्वे लाईन (ट्रेक) के मध्य सेन्टर से दूरी व रेल्वे लाईन की राजस्व शीट में कितनी चोडाई है। अर्थात खसरा नम्बर 206 के पास स्थित रेल्वे से खसरा नम्बर 205 की राजस्व शीट में चोडाई दृशाते हुऐ प्रमाणित प्रतिलिपी

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध में जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई ने उनके पत्र क्रमांक 10071/भूअ. दिनांक 11-11-2020 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 9053/एलआर दिनांक 8-10-2020 से आवेदक को सूचित किया जा चुका है। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जवाब की प्रति भिजवाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना के सम्बन्ध में जवाब भिजवाया जा चुका है। जवाब का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि तहसील कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजी रिकार्ड जो कार्यालय में उपलब्ध हो वहीं दिया जा सकता है, अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(गौरव अग्रवाल)

प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक